Title: Need to exempt compensation received by farmers against land acquisition for any project from income tax.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में एक धारा 194एल जोड़ी गई है जिसके अनुसार जो परियोजना प्रभावित व्यक्ति, जिनकी जमीन किसी परियोजना हेतु सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई है, को सरकार से मिलने वाले मुआवजे में से 10 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। इससे जो थोड़ा बहुत मुआवजा किसान को मिलता है वह भी सरकार छीन लेती है। महाराट्र सरकार ने अपने 5 मई, 2000 के पत्र द्वारा सरकार का ध्यान इस विसंगति की ओर खींचा है तथा उनसे मुआवजे को इनकम टैक्स से मुक्त करने की मांग की गई है। एक साल से भी अधिक समय बीत जाने पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अत: इस सम्माननीय सदन के माध्यम से सरकार से मेरी प्रार्थना है कि परियोजना प्रभावित व्यक्ति को मिलने वाले मुआवजे को इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए तथा इस हेतु आयकर अधिनियम की धारा 194एल में संशोधन किया जाए। धन्यवाद।

(इति)